

फर्द अहकाम

किशन गुर्जर बनाम राज0 सरकार

11: 64 / 2023

विशेष विवरण

क्र


आज्ञा विस्तृत रूप से

2024

पत्रावली पेश हुई। यह कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 1155, खाता संख्या 184 ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर एवं खाता संख्या 171, खाता संख्या 177 ग्राम मदरामपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र स्व० घासीराम अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम किशन गुर्जर पुत्र घासीराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, डाईविंग लाईसेन्स व पेनकार्ड इन सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम किशन गुर्जर ही अंकित है परन्तु अप्रार्थी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का सही नाम किशन गुर्जर की जगह किशनलाल अंकित कर दिया जो गलत है। प्रार्थी को बैंक से लोन लेने में व अन्य सरकारी कार्यों में परेशानी न हो इसलिए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित किशनलाल के स्थान पर किशन गुर्जर अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायहित में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम किशनलाल के स्थान पर किशन गुर्जर अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित प्रार्थी के गलत नाम किशनलाल को दुरुस्त करके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सही नाम किशन गुर्जर अंकित करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सांगानेर को जवाब हेतु न्यायालय के पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/4565 दिनांक 20/09/2023 एवं पत्र क्रमांक कोर्ट/2024/787 दिनांक 21/02/2024 को तहरीर जारी की गई। लेकिन तहसीलदार सांगानेर की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

पत्रावली में बहस अधिवक्ता प्रार्थी पत्रावली में सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 1155, खाता संख्या 184 ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर एवं खाता संख्या 171, खाता संख्या 177 ग्राम मदरामपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि


 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर विभागीय (सांगानेर)

किशन गुर्जर बनाम राज0 सरकार


प्रार्थना पत्र संख्या: 64 / 2023

भूमि के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे अंकित प्रार्थी के गलत नाम किशनलाल को दुरुस्त करके राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे सही नाम किशन गुर्जर अंकित करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 1155, खाता संख्या 184 ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर एवं खाता संख्या 171, खाता संख्या 177 ग्राम मदरामपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे अंकित प्रार्थी के गलत नाम किशनलाल की जगह सही नाम किशन गुर्जर अंकित करने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)